"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2018 — माघ 23, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3. — छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"19 (1) (क) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिये अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन निम्नानुसार करेगा -

(1)	(2)	(3)
(एक)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
(दो)	संचालक, लोक शिक्षण छ. ग.	सदस्य
(तीन)	संचालक, भू-अभिलेख छ. ग.	सदस्य

(1)	(2)	(3)
(चार)	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ. ग.	सदस्य - सचिव
(पांच)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ अधिकारी	सदस्य

(ख) छानबीन समिति की बैठकें अध्यक्ष के निर्देश पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेंगी.

(ग) छानबीन समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय पर किसी/किन्हीं सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(2) (क) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण -
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप-5छ में पंजीकृत करेगी.

(ख) समिति द्वारा सामान्य तौर पर नियम 20 से 23 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3, दिनांक 12-2-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 12th February 2018

NOTIFICATION

No. F 13-23/2012/R. C/1-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 19, the following shall be substituted, namely :-

"19. (1) (a) The State Government shall, under sub-section (1) of Section 7, constitute a High Power Certification Scrutiny Committee for the verification of certificates issued by the Competent Authority, as under,-

(1)	(2)	(3)
(i)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Castes Development Department.	Chairman
(ii)	Director, Public Instructions C. G.	Member
(iii)	Director, Land Records C. G.	Member
(iv)	Director, Tribal and Scheduled Castes Development C. G.	Member - Secretary
(v)	Two subject expert officers nominated by Director, Tribal Research and Training Institute C. G.	Member

(b) Meetings of the Scrutiny Committee shall be held on the direction of chairman, as required.

(c) There shall be no adverse effect of absence of any/some member/members on the decisions taken in the meetings of the Scrutiny Committee.

(2) (a) Registration of cases by the High Power Certification Scrutiny Committee- The High Power Certification Scrutiny Committee shall register the cases referred to it by Verification Committee or by the State Government in Form-5G.

(b) The procedure laid down in rule 20 to 23 shall be followed in general by the Committee."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.